तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
24.01.24	वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्राथमिक एतराज प्रस्तुत हुयी। वकील प्रार्थी/रैस्पो0 का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो पक्षकारान की पूर्ण सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी की गयी है। उसी आधार पर पटवारी हल्का व तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। खसरा नमबर 433 जो कि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी का है जो कि हाल जमाबन्दी में गैर खातेदारी में दर्ज है। जिसका पृथक से एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में गैर खातेदारी से खातेदारी हेतु विचाराधीन है। क्योंकि हाल जमाबन्दी में खसरा नम्बर 433 में पक्षकारान गैर खातेदार दर्ज है। इसलिये यह अपील इसी स्तर पर काबिल खारिजी है। दावे में भी खसरा नम्बर 433 का कही भी यह उल्लेख नहीं किया कि गैर खातेदार दर्ज हैं। इस प्रकार दावा भी स्वच्छ हाथो से लेकर नहीं आये। विभाजन खातेदारी की आराजी का ही हो सकता है ना कि गैर खातेदारी की आराजी का। अतः प्राथमिक एतराज स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में कोई तनकीयात कायम बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य कोई सहमति नहीं बनी एवं ना ही सहमति का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है। दावे में खसरा नम्बर 433 सम्मिलित है। जवाब दावे में रैस्पो0 ने इस बाबत कोई कथन नहीं किया। प्राथमिक डिक्री में उक्त खसरा नम्बर बाबत कुछ भी नहीं लिखा गया है। अन्य दावा विचाराधीन है अथवा उसमें अपीलाण्ट पक्षकार है या नहीं कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्राथमिक एतराज गैर कानूनी है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2023 पेज 297 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, प्राथमिक एतराज खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या 139 में खसरा नम्बर 433 पर पक्षकारान बतौर गैर खातेदार दर्ज हैं। नियमानुसार गैर खातेदारी की भूमि का विभाजन, बिना खातेदारी अधिकार प्राप्त किये नहीं किया जा सकता है। इसी आशय से अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 433 पर प्राथमिक डिक्री जारी नहीं की गयी है। दौराने बहस अभिभाषक रैस्पो0 ने उक्त खसरा नम्बर बाबत् पृथक से गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने का दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन होना कथन किया है। अपीलाण्ट चाहे तो उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय में चाराजोही कर सकते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम प्रार्थी रैस्पो0 का प्राथमिक एतराज स्वीकार योग्य पाते हैं एवं अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर खारिज योग्य समझते हैं। अतः आदेश है कि प्रार्थी रैस्पो0 का प्राथमिक एतराज स्वीकार किया जाकर, अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया। 24-01-2024 (अखिलेश कुमार पिंपल) राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर	